राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 एवं मूल अपील सं. 131/2014 जिला सीकर

मैसर्स आनन्द कोल्ड ड्रिंक्स अजीतगढ़, सीकर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड चतुर्थ, सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य** वकील अपीलार्थी श्री जी.एन.शर्मा एवम् उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। विविध प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी द्वारा विविध प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये कारण पर्याप्त एवम् संतोषप्रद होने एवं विभागीय प्रतिनिधि को इस संबंध में कोई एतराज नहीं होने के कारण, न्यायहित में विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील पुनः नम्बर पर लेते हुए अपील की सुनवाई की गई। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का वर्ष 2011–12 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.01.2014 को पारित किया गया, जिसमें 3 दिवस का टर्नओवर अधिनियम की धारा 3(2) के तहत व्यवसायी की बिक्री रूपये 40 लाख मानते हुए सर्वोत्तम ज्ञान से आदेश पारित किया गया। उस एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर Re open करने हेतु वैट अधिनियम, 2003 की धारा 34 के तहत व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के विरूद्ध यह अपील की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण में अपीलार्थी फर्म का पंजीयन दिनांक 03.04.2012 को जारी किया गया जिसमें प्रभावी दिनांक 29.03.2012 होने से वर्ष 2012–13 के "तीन दिन" का कर निर्धारण भी किया जाना अनिवार्य होने से कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म का पंजीयन u/s 3(2) के विकल्प के अधीन होने से 0.25 प्रतिशत से कर आरोपित किया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर जबकि व्यवहारी द्वारा धार 3(2) का विकल्प लिया गया था, जिसमें कि वार्षिक टर्नओवर सीमा रूपये 75 लाख ही है, के तथ्य के उपरान्त भी मात्र तीन दिन का टर्नओवर 40 लाख मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया, जबकि अपीलार्थी व्यवसायी को पंजीयन दिनांक 03.04.2012 को जारी किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में इस उल्लेख से स्पष्ट है कि "कालातीत" हो जाने की संभावना से बिना समुचित अवसर प्रदान किए ही एक लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 एवं मूल अपील सं. 1311/2014 जिला सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/03/2018	– 2 – मात्र नोटिस जारी करना बताते हुए एवं उसकी भी तामिली होने का उल्लेख किए बिना तीन दिन का आनुपातिक टर्नओवर (365 दिन के 75 लाख के विरूद्ध) 3 दिन का ही 40 लाख मानकर कर दिया। ऐसे तथ्यों के अधीन धारा 34 का आवेदन खारिज करने के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिए जाते है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करे। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि Best Judgement assessment का अर्थ बिना विचार के आदेश पारित करना न होकर न्यायोचित एवं विवेक पूर्ण आदेश किया जाना अपेक्षित होता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी का पंजीयन ही दिनांक 03.04.2012 का जारी किया गया था, तब उसके पूर्व के केवल तीन दिन अर्थात दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च, 2012 (2011–12) का टर्नओवर धारा 3(2) के तहत 75 लाख के वार्षिक (365 दिन का) की सीमा को देखते हुए तीन दिन का टर्नऑवर 40 लाख मानकर आदेश किया जाना विवेक से परे एवं विधि विरूद्ध है। फलतः उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 16.04.2014 को निरस्त किया जाता है तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नये सिरे से आदेश पारित करे। (ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	